पाठ - 1
लिबास के अहकाम

الدرس الأول - هندي
أحكـام اللبـاس

इस्लाम सफ़ाइ सुथराइ और जमाल व साज सज्जा को पसन्द करने वाला दीन है। इस्लाम ने मुसलमानों के लिए अच्छे ढंग से पहनने ओढ़ने और बनाव सिंगार को अपनाने को मुबाह क़रार दिया है और इसके लिए उभारा भी है। अल्लाह ने ऐसे लिबास उपलब्ध कर दिए हैं जिनसे सतर पोशी और साज सज्जा हासिल होती है। अल्लाह का इर्शाद है:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾

''ऐ आदम की औलाद! हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारे पोशीदा अंगों को भी छुपाता है और श्रृंगार का सबब भी है और तक़वा का लिबास, यह उससे बढ़ कर है। यह अल्लाह की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें। (सूरह अल आराफ आयत 26)

लिबास के मामले में भी असल हिल्लत है सिवाय उन लिबासों के जिनकी हुर्मत नस से स्पष्ट कर दी गयी है। इस्लाम ने किसी खास प्रकार के लिबास को निष्चित नहीं किया है कि केवल उसी को पहना जा सकता है। अलबत्ता उसने कपड़ों के लिए कुछ नियम तै किए हैं। एक मुसलमान के लिबास में उन नियमों की पाबन्दी है, वे नियम ये हैं:

1. लिबास सतर पोशी करने वाला हो। जिस्म के हिस्सों की नुमाइश करने वाला न हो।
2. उस लिबास से काफ़िरों या उन लोगों की समानता न झलकती हो जो बुराइयों और मुन्करात करने के लिए मशहूर हैं।
3. उस लिबास के अन्दर फ़ुजूल खर्ची और घमंड का पहलू न हो। लिबास के मामले में इन नियमों की पाबन्दी करते हुए एक मुसलमान अपनी ज़रूरत और आदत के मुताबिक़ लिबास इस्तेमाल कर सकता है। लिबास व पोषाक की बिरादरी की वे चीज़ें जिनकी मनाही शरीअत में आयी है ये हैं:

1. मर्दों के लिए रेशमी लिबास और सोने का इस्तेमाल हराम औरतों के लिए ये दोनों चीज़ें जायज़ हैं। इस की दलील अली बिन अबी तालिब रजि0 से मर्वी यह हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम को अपने दाएं हाथ में और सोने को अपने बाएं हाथ में लिया और फ़रमाया ''ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं (अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजा)

मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है जिसमें चांदी का इस्तेमाल हुआ हो और मर्द आम तौर पर उस तरह की चीज़ पहनते हों।

चांदी की तस्वीर वाली चीज़ें पहनना या इस्तेमाल करना: मुसलमान के लिए ऐसा लिबास पहनना जायज़ नहीं है जिसमें इन्सान या हैवान की तस्वीर हो, चाहे ये तस्वीरें कपड़े पर हों या ज़ेवरात पर हों या इस्तेमाल की किसी दूसरी चीज़ पर हो, आयशा रजियल्लाहु अन्हाकी रिवायत है कि उन्होंने एक छोटा तकिया खरीदा जिसपर तस्वीरें थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे देखा तो दरवाज़े पर ठहर गए और घर के अन्दर दाखिल नहीं हुए। आयशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने आपके चेहरे पर ना पसन्दीदगी के निशान देखे तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ रुजू करती हूं मैंने कौन सा गुनाह किया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: ये छोटा सा तकिया कहां से आया है? मैंने कहा: मैंने इसे आपके लिए खरीदा है ताकि आप उस पर बैठें और टेक लगाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» وَقَالَ: «إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ المَلاَئِكَةُ

क़ियामत के दिन इन तस्वीरों को बनाने वालों को अज़ाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि तुमने जो बनायी थी उनमें जान भी डालो, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस घर के अन्दर तस्वीरें हों उसमें फ़रिष्ते दाखिल नहीं होते हैं।